UPSN010014162026

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1 भदोही।

उपस्थित :– (डॉ० अमित वर्मा) आई. डी. –यू.पी. 2412

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–452/2026

1– विवेक यादव उम्र लगभग 30 वर्ष

2– विशाल यादव उम्र लगभग 32 वर्ष

पुत्रगण तेजबहापुर यादव, निवासीगण रघुनाथपुर (मर्दनपुर) थाना व जिला–भदोही ।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

मु०अ०सं०–113/2024
धारा 323, 504, 506, 307, 325 आई.पी.सी
थाना–भदोही, जिला भदोही।

दिनांक–30.05.2026

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण विवेक यादव व विशाल यादव पुत्रगण तेजबहादुर यादव, निवासीगण ग्राम रघुनाथपुर (मर्दनपुर) थाना व जिला भदोही के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मु०अ०सं 113 सन् 2024, धारा–323, 504, 506, 307, 325 आई.पी.सी.,थाना–भदोही, जिला–भदोही, के अभियोग में जमानतीय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुक़दमा सुनील सिंह पुत्र ज्योतिष प्रसाद सिंह, डोमनपुर थाना भदोही का निवासी है। दिनांक 19.06.2024 को समय करीब 4.20 के लगभग वादी मुकदमा का लड़का सुजीत सिंह बाजार हेतु निकला था तभी चन्दन कारपेट के आगे पहले से घात लगाकर बैठे विवेक यादव, विशाल यादव पुत्रगण तेजबहादुर यादव नि० मर्दनपुर थाना भदोही जिला भदोही व इनके रिस्तोदार प्रिंस यादव पुत्र अज्ञात ने जान से मारने के नियत से उसके लड़के पर पाईप, रिंच, राड व पत्थर के बोल्डर से सर पर प्रहार किया उसके बाद सर पर कई रॉड मारे जिससे उसका लड़का जमीन पर गिर पड़ा, जान से मारने के नियत से उपरोक्त लोगो ने उसके लड़के पर कई प्रहार राड से करके हाथ पैर लहुलुहान कर

अधमरा कर दिया। अगल बगल के लोग मौके पर आ गये जिन्होने घटना को देखा व बीच बचाव किया । उपरोक्त अभियुक्तगण माँ बहन की गाली देते हुऐ जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये प्रार्थी के लड़के की गम्भीर चोट को देखते हुए उसे प्रतीमा हास्पिटल में भर्ती कराया जहाँ ईलाज चल रहा है। उपरोक्त सूचनानुसार सम्बंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कि गई।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया कि अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में कोई भी जमानत प्रार्थनापत्र कायम होकर लम्बित नहीं है अभियुक्तगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि० 8/4/2026 की सत्य प्रतिलिपि दाखिल कि गई है । अधीनस्थ न्यायालय सी० जे०एम० भदोही द्वारा अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थनापत्र धारा 323, 504, 506, 307, 325 आई०पी०सी० अपराध संख्या–113/2024 थाना भदोही सरसरी तौर पर खारिज कर दिया है, आदेश की प्रतिलिपि सलग्न है । उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है, उन्हें झूठा फंसाया गया है। वादी मुकदमा द्वारा मात्र रंजिश के कारण अभियुक्तगण को नामजद कर के झूठे कहानी के आधार पर झूठे फंसाया गया है एवं झूठी एफ०आई० आर०विलम्ब से कायम कराया गया है। वे विवेचना के दौरान माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अग्रिम जमानत पर रिहा रहे एवं दौरान विवेचना विवेचक का पूर्ण सहयोग किया जब भी उनके द्वारा समक्ष प्रस्तुत होने को कहा गया अभियुक्तगण ने बराबर उपस्थित होकर विवेचना में सहयोग किया। उनके द्वारा माननीय न्यायालय में अन्डरटेकिंग के माध्यम से कथन किया गया था कि वे लोग विवेचना के दौरान विवेचक के कहने पर उपस्थित होगें किसी साक्ष्य एवं साक्षी को प्रभावित नहीं करेगें एवं बिना न्यायालय के अनुमति से बाहर नहीं जायेगें । विवेचना के दौरान विवेचक ने डॉक्टर सुरेन्द्र सिंह का बयान लिया एवं घायल सुजीत कुमार सिंह की इन्जरी रिपोर्ट दि 20–6–2024 के साथ सी०टी०स्केन रिपोर्ट, एक्सरे रिपोर्ट व एक सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट दिनांक 23–7–2024 को विवेचक द्वारा केश डायरी के साथ सलग्न किया गया। यह कि इन्जरी रिपोर्ट के अवलोकन से घायल सुजीत कुमार सिंह के शरीर पर आयी चोटों से यह दर्शित है कि चोट संख्या 6 को छोड़कर शेष सभी चोटें सामान्य प्रकृति के है एवं शरीर के किसी भी अत्यावश्यक एवं जीवनोपयोगी अंग पर कोई चोट नहीं पायी गयी एवं कोई भी चोट प्राण घातक नहीं थी न है । यह कि विवेचना के पश्चात्त विवेचक द्वारा उनके खिलाफ जल्दबाजी में एवं

राजनैतिक पकड़ होने के कारण आरोपपत्र वादी मुकदमा के पक्ष में दिनांक 14–8–2024 अन्तर्गत धारा 307,325,323, 504, 506 आई०पी०सी० में न्यायालय में प्रेषित किया। यह कि चिकित्सक सुरेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत मेडिकल रिपोर्ट एवं इन्जरी रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के खिलाफ 307 आई०पी०सी० का प्रथम दृष्ट्या अपराध नहीं बनता जो भी चोट गम्भीर प्रकृति की बतायी गयी है वह घायल के निचले पैर पर पायी गयी है जो वाईटल अंग की परिभाषा में नहीं आता। यह कि आरोपपत्र एवं केस डायरी के आधार पर भी अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 307 व अन्य अपराध नहीं बनते हैं । यह कि विवेचक द्वारा न तो अभियुक्तगणों से और न ही किसी अन्य व्यक्ति या स्थान से कोई हथियार बरामद किया है तथा घायल के बयान में भी किसी स्पष्ट हथियार का उल्लेख नहीं किया गया है न ही घटना के सम्बन्ध में कोई मोटिव ही बताया गया है । उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। वे निर्दोष है । वे कभी भी किसी अन्य मामले में दोष सिद्ध नहीं है। सीधे साधे व्यक्ति है। वे अपनी जमानत कराना चाहते है और जमानत मुचलका देने को तैयार है बाद होने रिहा जमानत मुचलका का दुरूपयोग नहीं करेगें जब भी अदालत तलब करेगी अभियुक्तगण हाजिर अदालत रहेगें । अतः प्रार्थना है कि अभियुक्तगण को उचित जमानत मुचलके पर रिहा किये जाने की आज्ञा प्रदान करें ताकि न्याय हो ।

4. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने आवेदन जमानत का विरोध किया और यह कथन किया कि अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा के लड़के को रॉड, रिंच आदि से मारकर गंभीर रूप से घायल किया है इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा जघन्य अपराध कारित किया गया है । जमानत के आधार पर्याप्त नहीं है । अतः जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाये।

5. मैंने प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना एवं केस डायरी, व पत्रावली पर उपलब्ध अन्य अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण पर आरोप है की उनके द्वारा वादी मुकदमा के लड़के को जान से मारने की नियत से पाइप, रिंच, रॉड व पत्थर के बोल्डर से मारकर गंभीर रूप से घायल किया गया है व उसे जान से मारने की धमकी दी गई है। घटना दिनांक 19.06.2024 की बताई जा रही है और वादी मुकदमा द्वारा दिनांक 20.06.2024 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, विद्वान् जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि चूँकि वादी मुकदमा का लड़का

अधमरे अचेत हालत में था तो वादी मुकदमा पहले उसे इलाज हेतु प्रतिमा अस्पताल लेकर गया जहां उसका इलाज चल रहा था, फिर वादी मुकदमा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि घटना दिनांक 19.06.2024 शाम 16 :20 बजे की बताई जाती है और प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 20.06.2024 को मध्य रात्रि 1:13 मिनट पर दर्ज कराई गई है। जिससे वादी मुकदमा के द्वारा घटना कारित होने तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के बीच के अंतर का स्पष्टीकरण अभियोजन द्वारा साबित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध बयान वादी सुनील सिंह अन्तर्गत धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता में आया है कि दिनांक 19.06.2024 को समय 4.20 बजे शाम चन्दन कारपेट के आगे उसके लड़के सुजीत सिंह को विवेक यादव, विशाल यादव और उनके रिश्तेदार प्रिंस यादव जान से मारने की नीयत से गाली–गुप्ता देते हुए पाइप, रिंच, राड व पत्थर के बोल्डर से प्रहार किये एवं उसके बाद उसके सिर पर कई राड मारे जिससे उसका लड़का जमीन पर गिर पड़ा था। जान से मारने की नीयत से उपरोक्त लोगों ने हाथ पैर लहुलूहान कर अधमरा कर दिया। बयान मजरूब सुजीत सिंह अन्तर्गत धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता में आया है कि वह दिनांक 19.06.2024 को समय 4.20 बजे शाम बाजार हेतु निकला था। चन्दन कारपेट के आगे पहले से घात लगाकर बैठे विवेक यादव, विशाल यादव और उनके रिश्तेदार प्रिंस यादव उसे जान से मारने की नीयत से पाइप, रिंच, राड व पत्थर के बोल्डर से प्रहार किये एवं उसके बाद सिर पर कई राड मारे जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। उपरोक्त लोगों ने हाथ पैर लहुलूहान कर अधमरा कर दिया। रिकार्ड पर उपलब्ध चश्मदीद गवाह विकास तिवारी उर्फ जिम्मी ने भी वादी के बयान अन्तर्गत धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता का ही समर्थन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध मजरूब के मेडिकल रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मजरूब सुजीत कुमार सिंह को कुल 12 चोटें आई और पूरक रिपोर्ट में चोट संख्या 6 गंभीर प्रकृति की पाई गई है । पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत अपराध संख्या 165 /25 के अवलोकन से यह भी विदित है कि दिनांक 08.04.2025 को अभियुक्त विवेक यादव, किशन यादव, रामदास यादव व विशाल यादव द्वारा सुजीत सिंह पुत्र सुनील सिंह को गाली गलौज देते हुए जान से मारने कि धमकी दी गई है। जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त घटना के बाद भी मजरूब सुजीत सिंह को धमकी दी जा रही है। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक अग्रिम जमानत प्रार्थना

पत्र 7018 /24, दाखिल किया गया था जो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा खारिज कर दिया गया था, उसके उपरान्त अभियुक्तगण द्वारा माननीय सत्र न्यायाधीश, भदोही के समक्ष एक अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र 774 /25 दाखिल किया गया वह भी खारिज किया जा चुका है। अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 7202 /2025 व प्रार्थना पत्र 36526 /25 अंतर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस भी माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा खारिज किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा एक फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या 256 /25 दाखिल किया गया वह भी माननीय सत्र न्यायाधीश, भदोही द्वारा दिनांक 31.01.2026 को खारिज कर दिया गया है।

7. प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण के द्वारा गंभीर अपराध किया जाना परिलक्षित होता है, अतः मामले के तथ्य एंव परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये बिना गुण दोष पर विचार व्यक्त करते हुए अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त प्रतीत नहीं होता हैं तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण विवेक यादव व विशाल यादव पुत्रगण तेजबहादुर यादव, निवासीगण ग्राम रघुनाथपुर (मर्दनपुर) थाना व जिला भदोही, द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सम्बंधित मु०अ०सं 113 सन् 2024, धारा–323, 504, 506, 307, 325 आई.पी.सी.,थाना–भदोही, जिला–भदोही, खारिज किया जाता है।

दिनांक 30.05.2026

(डॉ० अमित वर्मा)
आई. डी.–यू.पी.2412
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या –1
भदोही–ज्ञानपुर।

Digitally signed by AMIT VERMA
Date: 2026.06.18 08:35:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court